*भारत में स्वागत है : भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंकिंग क्षेत्र और फैक्टरिंग सेवाओं की अवस्था**

के. सी. चक्रवर्ती

श्री गर्हार्ड प्रेन्नर, अध्यक्ष, इंटरनैशनल फैक्टर्स ग्रुप (आइएफजी); श्री प्रमोद भसीन, संस्थापक और उपाध्यक्ष, जेनपैक्ट लिमिटेड; श्री संजय चामरिया, सह-संस्थापक और सीइओ, मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड; श्री रवि गुप्ता, प्रबंध निदेशक, ब्लेंड फाइनैंशियल सर्विसेज लिमिटेड; इस सम्मेलन में आये डेलीगेट, देवियो और सज्जनो! आप सबों का, विशेष रूप से विदेशी डेलीगेटों का, भारत में और नई दिल्ली के इस ऐतिहासिक नगर में आइएफजी के वार्षिक सम्मेलन में स्वागत करते हुए मुझे अपार आनंद का अनुभव हो रहा है। यह उत्साहित करने वाली बात है कि आइएफजी, जो 60 से अधिक देशों के 150 सदस्यों के साथ वाणिज्यिक वित्त के लिए स्थापित एक वैश्विक संघ है, ने अपना वार्षिक सम्मेलन भारत में आयोजित करना पसंद किया, जो भारत में स्थित वैश्विक वित्तीय संस्थाओं में उनकी बढ़ती दिलचस्पी को प्रकट करता है। प्रारंभ में मैं श्री रवि गुप्ता और सुश्री मार्गरिट लुश्च-इम्मेनेगे को धन्यवाद देता हूँ। ये दो व्यक्ति ऐसे हैं, जिन्होंने मुझे उस समय फैक्टर फाइनैंसिंग के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रभावित किया, जब मैं पंजाब नैशनल बैंक में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य कर रहा था। वास्तव में, एफआइएम बैंक, जिसका प्रतिनिधित्व सुश्री मार्गरिट कर रही थी, के साथ मिल कर इसने संयुक्त रूप से भारत में फैक्टरिंग कंपनी की नींव रखी। इसलिए, जब श्री गुप्ता ने मुझसे इस सम्मेलन में बोलने का अनुरोध किया, तब मैं इल आमंत्रण को मना नहीं कर सका।

2. आज मुझे जिस विषय पर बोलने के लिए कहा गया है वह है ''भारत में स्वागत है''- जिसे मैं कर चुका हूँ। इसलिए इसके बाद क्या? मुझे कहा गया है कि सम्मेलन के प्रतिभागी भारतीय अर्थव्यवस्था की अवस्था, निकट भविष्य में आने वाले व्यवधान, अवसर और प्रत्याशाएँ तथा बैंकिंग, एसएमई वित्तपोषण और फैक्टरिंग के बारे में केंद्रीय बैंक के दृष्टिकोण की जानकारी प्राप्त करने में दिलचस्पी रखते हैं। इसलिए आज मैं अपने भाषण के क्रम में भारतीय अर्थव्यवस्था की संभावना, बैंकिंग क्षेत्र की संभावना, बैंकिंग क्षेत्र की संरचना और सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यमों तथा भारत में फैक्टरिंग क्षेत्र के सामने उपस्थित मुद्दों और चुनौतियों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के संदर्श के बारे में संक्षेप में उल्लेख करूँगा।

ए. भारतीय अर्थव्यवस्था की अवस्था-व्यवधान, अवसर और प्रत्याशाएँ

3. वर्षों से, भारतीय अर्थव्यवस्था का अनेक चरणों में उल्लेखनीय रूपांतरण हुआ है। स्वतंत्रता पश्चात् पहले तीन दशकों तक हिन्दू वृद्धि दर का अनुभव करने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को 1980 के दशक में आर्थिक सुधार के पहले चरण के साथ प्रथम 'बड़ा प्रोत्साहन' मिला, जबकि दूसरा बड़ा प्रोत्साहन वर्ष 1991 के बाद मिला, जो अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बाद हुआ था, जिसने इसे धारणीय उच्च वृद्धि के पथ पर अग्रसर होने में मदद की। भारत ने अपनी आंतरिक अभिमुखता की विगत नीतियों से वर्ष 1991 में आमूल विचलन किया और व्यापार एवं विदेशी निवेश को उन्मुक्त करने की प्रक्रिया आरंभ की। वृद्धि अनुक्रिया एक दशक के बाद प्राप्त हुई, जब क्रमिक सुधारों का संचयी प्रभाव निवेश के माहौल में दिखाई देने लगा। भारत की जीडीपी वृद्धि वर्ष 2001-11 के दौरान प्रति वर्ष आठ प्रतिशत से अधिक रही थी। वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के पूर्व के पाँच वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था की वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर औसत 9 प्रतिशत रही थी। संकट के परिणामस्वरूप इसमें गिरावट आयी और अनेक प्रेक्षकों के मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या यह गिरावट अस्थायी है या अर्थव्यवस्था मध्यावधि में न्यून वृद्धि दर की ओर जा रही है। जबकि आरबीआई का अनुमान है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की अभिप्रेत/संभाव्य वृद्धि दर, जो वर्ष 2005-06 से 2007-08 तक औसतन लगभग 8.5 प्रतिशत रही थी, उसके बाद क्रमशः कम होने लगी और इस समय यह लगभग 7 प्रतिशत पर है। भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये प्रारूप बारहवीं पंचवर्षीय योजना (20012-17) दस्तावेज में बताया गया है कि भारत की पूर्ण वृद्धि संभावना 9 प्रतिशत के आसपास बनी हुई है।

---

* 7 अक्तूबर 2013 को इंटरनैशनल फैक्टर्स ग्रुप के वार्षिक सम्मेलन में डॉ. के.सी.चक्रवर्ती, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया प्रारंभिक भाषण। श्रीमती लिली वडेरा द्वारा दी गयी सहायता को कृतज्ञतापूर्वक अभिस्वीकार किया जाता है।

4. अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की भाँति, भारतीय अर्थव्यवस्था भी कतिपय चुनौतियों का सामना कर रही है : मुद्रास्फीति ऊँची है, वृद्धि नीचे है, निवेश में गिरावट हो रही है, चालू खाता घाटा धारणीय स्तर से ऊपर है, राजकोषीय घाटा अधिक है, और विनिमय दर पर दबाव है। जबकि वैश्विक गिरावट एक महत्वपूर्ण कारक है, घरेलू कारक भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं।

5. समष्टि स्तर पर चिंताएँ हैं, लेकिन हमें इन चिंताओं के संकेत को शोर शराबे से अलग करने की आवश्यकता है। अर्थव्यवस्था के मौलिक तत्व तगड़े बने हुए हैं। एक ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि हाल की अवधि में वृद्धि का आधार भारत के राज्यों में व्यापक बना है, गरीबी कम हुई है, लेकिन वित्तीय समावेशन एक बड़ी चिंता बन कर उभरा है। समावेशन और सामाजिक संरक्षण पर बहुत खर्च किया गया है।

6. आगे बढ़ते हुए, कुछ चुनौतियाँ हमारे सामने हैं- कुछ पुरानी हैं, कुछ नयी हैं। वर्तमान चुनौतियाँ हैं (i) तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए विश्व-श्रेणी की आधारभूत संरचना की व्यवस्था करना, विशेष रूप से दूरसंचार और बिजली क्षेत्रों में, और (ii) समष्टिआर्थिक प्रबंध, जिसमें राजकोषीय सुधार और एक खुली अर्थव्यवस्था की मौद्रिक नीति शामिल हो।

7. नयी चुनौतिया हैं : अर्थव्यवस्था जब उच्च वृद्धि पथ पर अपनी यात्रा शुरूकर रही है, तब भिन्न-भिन्न कौशलों के लिए माँग और उनकी पूर्ति के बीच अंतराल को किस प्रकार दूर किया जायेगा। जनांकिकी अवसर को लाभांश के रूप में बदलने की आवश्यकता है। आज, भारत की आबादी का 50 प्रतिशत 25 वर्ष से कम उम्र का है। अभिलाषाएँ बढ़ रही हैं। भारत के लिए जनांकिकी अवसर बढ़ रहा है, क्योंकि कार्यकारी आयु वाली आबादी का प्रतिशत अगले 40 वर्षों तक बढ़ता रहने वाला है। इसे काम में लाने की आवश्यकता है, जिसमें कौशल-निर्माण, उच्च शिक्षा, नवोन्मेष, ज्ञान-सृजन, और ज्ञान की बँटाई पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाना होगा। भारत सरकार का राष्ट्रीय कौशल विकास उपक्रमण सरकारी निजी सहभागिता का उपयोग इस चुनौती पर ध्यान देने के लिए करता है। भारत शिक्षा के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित किये जाने के लिए एक अनोखे स्थान पर है, क्योंकि उभरती अर्थव्यवस्थाओं में शिक्षा के लिए लालसा है और परिवार के स्तर पर शिक्षा के लिए तगड़ी प्रतिबद्धता जतायी जाती है। वैश्विक शिक्षा संस्थाओं को अपनी उपस्थिति भारत में दर्ज करने की आवश्यकता है, क्योकि जहाँ मानव-संसाधन उपस्थित हों, वहाँ के आकर्षण से वे बच नहीं सकती हैं।

8. आने वाले वर्षों में, लाखों लोगों के कृषि क्षेत्र से बाहर निकलने की उम्मीद की जाती है और उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जानी होगी। अतः, भारत के लिए आवश्यक है कि वह अपनी विनिर्माण सक्षमता बढ़ाये। हालाँकि विगत अतीत में विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि की गति अर्थव्यवस्था की समग्र वृद्धि दर से आगे हो गयी है, जीडीपी से केवल 16 प्रतिशत अधिक, फिर भी भारत की वृद्धि में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान इसकी संभाव्यता से काफी कम है। विनिर्माण क्षेत्र में सृजित प्रत्येक रोजगार का प्रवर्धक प्रभाव यह होता है कि इसके साथ संबद्ध कार्यकलापों में दो से लेकर तीन अतिरिक्त रोजगार का सृजन हो जाता है। इसलिए, विनिर्माण पर जोर दिया जाना सरकार की वृद्धि संबंधी कार्यसूची का अभिन्न अंग होता है। भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में प्रस्ताव किया गया है कि जीडीपी में विनिर्माण का क्षेत्रीय हिस्सा बढ़ा कर अगले दशक[1] तक 25 प्रतिशत किया जायेगा।

9. जैसे-जैसे हम इन शक्तियों का लाभ उठाते हैं, मैं देखता हूँ कि भारत युवा एवं बढ़ते मध्य वर्ग की आकांक्षाओं की पूर्ति कर रहा है। और हम भी विश्व के साथ अपना एकीकरण बढ़ा कर वैसा ही करेंगे। भारत अब शेष विश्व के साथ वित्तीय एकीकरण और व्यापार एकीकरण के जरिए नजदीक से जुड़ चुका है। भारत सरकार का आशय और उद्देश्य यह है कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकृष्ट किया जाये और उसका संवर्धन किया जाये, ताकि घरेलू पूँजी, प्रौद्योगिकी और कौशल की कमी पूरी हो और आर्थिक वृद्धि की गति तेज हो। जबकि भारत घरेलू अवसरों के आधार पर 8 प्रतिशत वृद्धि दर की आशा कर सकता है, 9-10 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए बाह्य वातावरण को भी सहज होना होगा।

बी. भारत में बैंकिंग संरचना

10. भारत में मौजूदा बैंकिंग संरचना का विकास अनेक दशकों में हुआ है। यह विस्तृत है और अर्थव्यवस्था की ऋण एवं बैंकिंग सेवा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता रहा है। स्वतंत्रता के बाद से भारतीय बैंकिंग क्षेत्र काफी आगे निकल चुका है और वर्ष 1969 में 14 प्रमुख बैंकों तथा वर्ष 1980 में

[1] राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किये जाने के बाद से तो इसका और भी विकास हुआ। वित्तीय क्षेत्र सुधार (वर्ष 1991) के बाद के चरण में बैंकिंग संरचना के कार्य-निष्पादन और दृढ़ता में बोधगम्य सुधार हुआ। वर्षों से, बैंकिंग की पहुँच काफी व्यापक हुई है और इसमें अपेक्षाकृत कम बैंक सुविधा वाले क्षेत्रों को शामिल किया गया है, खास कर ग्रामीण क्षेत्रों में। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में वाणिज्यिक बैंक ऋण में बढ़ोतरी हुई और वह वर्ष 1951 के 5.8 प्रतिशत से बढ़ कर वर्ष 2012 तक 56.5 प्रतिशत हो गया। प्रति बैंक शाखा आबादी, जो वर्ष 1969 में 64,000 थी, वह वर्ष 2012 में 12,300 हो गयी (आरबीआई, 2013)। जो प्रमुख लक्षण भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को अन्य अनेक देशों के बैंकिंग क्षेत्रों से अलग करता है, वह यह है कि इसने भिन्न-भिन्न प्रकार की संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया,जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की बैंकिंग संबंधी भिन्न-भिन्न आवश्यकताओ को पूरा करती थीं। सहकारी ऋण संस्थाओं का सृजन लघु एवं सीमांत कृषकों की, जो सहकारिता प्रणाली में संगठित थे, ऋण, प्रसंस्करण और विपणन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया। सहकारी संस्थाओं का विस्तार शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में भी शहरी सहकारी बैंकों के रूप में किया गया, ताकि अल्प आय वाले लोगों की बैंकिंग और ऋण संबंधी जरूरतें पूरी की जा सकें। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना सहकारी ऋण संस्थाओं और वाणिज्यिक बैंकों के सकारात्मक लक्षणों को एक साथ मिला कर, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़े वर्ग के लोगों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए की गयी। पुनः, एक प्रयोग स्थानीय क्षेत्र बैंकों की स्थापना के रूप में किया गया, अलबत्ता, छोटे पैमाने पर, ताकि ऋण-उपलब्धता के अंतराल को भरा जाये और ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में संस्थागत ऋण ढाँचे को मजबूत बनाया जाये।

11. बहु-टीयर वाली संरचना को प्रोत्साहित करते समय, विनियामक प्रयास यह किया गया कि जब कभी दुर्बलता दिखे, तब उस पर ध्यान देते हुए स्थिरता और सुदृढ़ता सुनिश्चित की जाये। प्रणाली की सुदृढ़ता देखने में तब आयी, जब इसने अच्छी तरह हाल के वित्तीय संकट को बरदाश्त कर लिया, जबकि पूरी दुनिया में अनेक देशों की बैंकिंग प्रणालियों पर संकट का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

12. बैंकों द्वारा खोली गयी शाखाओं में बढ़ोतरी होने पर भी, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र अभी तक बैंकिंग व्यापन और समावेशन के वांछित स्तर तक नहीं पहुँच पाया है, जैसाकि अधिकांश उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में और कुछ उभरती अर्थव्यवस्थाओं में देखा जाता है। यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2011 में ग्रामीण भारत में प्रति 1,00,000 वयस्क व्यक्तियों पर केवल 7 शाखाएँ थीं, जबकि अधिकांश विकसित अर्थव्यवस्थाओं में और यहाँ तक कि ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं में भी 40 से अधिक शाखाएँ थीं। क्षेत्रीय दृष्टि से देखा जाये, तो उत्तर-पूर्वी, पूर्वी और मध्य क्षेत्र बैंकिंग व्यापन की दृष्टि से अधिक वंचित हैं। इस तथ्य को देखते हुए कि देश में बहुत बड़ी आबादी को बैंक सुविधा प्राप्त नहीं है और बड़ी संख्या में ऐसा अनौपचारिक क्षेत्र है, जिसे अभी भी औपचारिक बैंकिंग क्षेत्र तक पहुँच प्राप्त नहीं है, भारत के बैंकिंग क्षेत्र का विस्तार किये जाने की बहुत गुंजाइश है। इसके लिए राष्ट्रीय और स्थानीय स्तरों पर निजी संस्थाओं की अधिक मौजूदगी अपेक्षित होगी। इस तथ्य का मूल्यांकन करने और अन्य अर्थव्यवस्थाओं से तुलना करने पर वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली को आकार और बैंकों की संख्या के संदर्भ में विस्तार किये जाने के माध्यम से गतिकता प्रदान किये जाने की आवश्यकता; छोटे बैंकों का विस्तार कर उन्हें बैंक रहित और कम बैंक सुविधा वाले क्षेत्रों में ले जाने की आवश्यकता; समेकन पर ध्यान केंद्रित किये जाने की आवश्यकता; प्रतिस्पर्धा में सुधार के लिए प्रवेश-जन्य व्यवधान को दूर करने की आवश्यकता; और परिचालन दक्षता बढ़ाये जाने की आवश्यकता सामने आती है।

13. यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि बैंकिंग प्रणाली आकार और परिष्करण में आगे बढ़े, ताकि यह एक आधुनिक अर्थव्यवस्था की आवश्यकता को पूरा कर सके, और बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच में सुधार करने की दृष्टि से भारतीय रिज़र्व बैंक निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों को कुछ अतिरिक्त बैंकिंग लाइसेंस देने पर विचार कर रहा है, बशर्ते कि वे हमारे पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों, जैसाकि केंद्रीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2010-11 के अपने बजट भाषण में घोषणा की थी। फलतः, भारतीय रिज़र्व बैंक ने निजी क्षेत्र[2] में नये बैंकों के लाइसेंसीकरण के लिए दिशा-निर्देश 22 फरवरी 2013 को जारी किये। आरबीआई नये बैंक लाइसेंस निर्गत करने की प्रक्रिया में है, जो पारदर्शिता और सतर्कता के उच्च

[2] निजी क्षेत्र में नये बैंकों के लाइसेंसीकरण के लिए दिशा-निर्देश, जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 22 फरवरी 2013 को जारी किया गया और http://rbi.org.in/scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=28191 से लिया गया

मानकों के समनुरूप होंगे। पुनः, रिज़र्व बैंक ने हाल ही में (27 अगस्त 2013 को) 'भारत में बैंकिंग संरचना- भावी पथ'[3] विषय पर एक चर्चा पत्र जारी किया है, जिसे पणधारियों की टिप्पणी के लिए वेबसाइट पर दिया गया है। इस दस्तावेज में छोटे बैंकों और होलसेल बैंकों में विभेद किये जाने की संभावना, निरंतर या 'माँग के अनुसार प्राप्य' लाइसेंसीकरण की संभावना, और बड़े सहकारी बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों में बदलने की संभावना की तलाश की जा रही है। हमारा प्रस्ताव है कि हम इन विचारों के साथ आगे बढ़ते रहें और पणधारियों की टिप्पणियाँ प्राप्त होने पर प्रवेश को मुक्त करने और लाइसेंसीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए आवश्यक सुधारों और विनियमों की विस्तृत रूपरेखा तैयार करें।

14. चूँकि भारतीय अर्थव्यवस्था गतिशील है, यह अनिवार्य है कि बैंकिंग प्रणाली लचीली और प्रतिस्पर्धात्मक हो, ताकि यह बहुविध उद्देश्यों को और अर्थव्यवस्था के विभिन्न घटकों द्वारा की जाने वाली माँगों को पूरा कर सके। वित्तीय समावेशन के परिप्रेक्ष्य में भी, इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि समाज के वंचित वर्ग तक वित्तीय सेवाओं की पहुँच को विस्तारित किया जाये। इस परिप्रेक्ष्य से देखे जाने पर भारत में आज की बैंकिंग संरचना के लिए इसके आकार और सुदृढ़ता में बढ़ोतरी किये जाने की आवश्यकता और गुंजाइश है। वैश्विक संकट से मिले सबक के आधार पर भारत में बैंकिंग संरचना को सुदृढ़ किये जाने की दृष्टि से, ताकि यह एक बढ़ती और वैश्वीकृत होती अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, 'भारत में बैंकिंग संरचना- भावी पथ' विषय पर एक चर्चा पत्र हमारे वेबसाइट पर दिया गया है, जैसाकि इसके पूर्व उल्लेख किया जा चुका है। चर्चा पत्र में विभिन्न मुद्दों, यथा, प्रतिस्पर्धा बढाने, उच्च वृद्धि के लिए वित्तपोषण करने, विशेषीकृत सेवाएँ प्रदान करने और वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने, पर ध्यान देने की दृष्टि से संशोधित बैंकिंग संरचना के लिए कतिपय भवन-खंडों की पहचान की गयी है। यह उन चिंताओं पर ध्यान देने की आवश्यकता पर भी जोर देता है, जो इस प्रकार के परिवर्तनों से उत्पन्न हो सकती हैं, ताकि वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए समझौताकारी तालमेल का प्रबंध किया जा सके।

15. जैसे-जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था विनिर्माण और आधारभूत संरचना क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए विस्तारित होती है, वैसे-वैसे ऋण की मात्रा में बढ़ोतरी होती जाती है और वृद्धि प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए अधिक संसाधनों की आवश्यकता होगी। 8 प्रतिशत वार्षिक आर्थिक वृद्धि का समर्थन करने के लिए, जैसाकि 12वीं पंचवर्षीय योजना में परिकल्पित है, बैंकिंग व्यवसाय में महत्वपूर्ण विस्तार किये जाने की आवश्यकता होगी, जिसके लिए वर्ष 2020 तक 288 ट्रिलियन रुपये की आवश्यकता होगी, जबकि वर्ष 2012 में लगभग 115 ट्रिलियन रुपये की राशि अनुमानित थी। मौजूदा बैंकिंग व्यवसाय का विस्तार करने के लिए अतिरिक्त पूँजी समर्थन अपेक्षित है। भारतीय बैंकिंग में सरकारी क्षेत्र की प्रधानता है, जो अंत-मार्च 2012 में बैंकिंग क्षेत्र की कुल आस्तियों के लगभग 73 प्रतिशत के लिए जिम्मेवार था। अतः, राजकोषीय सुदृढ़ीकरण करते हुए बैंकिंग क्षेत्र की पूँजी में विस्तार का लक्ष्य प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण मार्ग यह होगा कि बैंकिंग में स्वामित्व का पण व्यापक रूप से वितरित किया जाये।

16. भारत में विदेशी स्वामित्व वाले अनेक बैंक भी हैं, जिनमें से अधिकांश की लंबे समय से यहाँ मौजूदगी रही है और उन्होंने हमारी वृद्धि को गति प्रदान करने में मदद पहुँचायी है। वे नवोन्मेष के क्षेत्र में आगे रहे हैं, उत्पादकता बढ़ाने और नये उत्पाद तैयार करने, दोनों ही दृष्टि से। हम चाहते हैं कि वे हमारी वृद्धि में अधिक भागीदारी करें, लेकिन इसके बदले में हम उनके स्थानीय परिचालनों पर अधिक विनियामक और पर्यवेक्षकीय नियंत्रण रखना चाहते हैं, ताकि अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों के बारे में कुछ भी हमसे छिपा नहीं रहे। आरबीआई योग्य विदेशी बैंकों को प्रोत्साहित करेगा कि वे संपूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी संरचना की ओर अग्रसर हों, जहाँ वे लगभग राष्ट्रीय व्यवहार का उपभोग करेंगे। हम शेष बचे कुछ मुद्दों को अलग करने की प्रक्रिया में हैं, ताकि यह युक्ति अपनायी जा सके[4] ।

सी. एमएसएमई वित्तपोषण

17. एमएसएमई क्षेत्र की जो महत्वपूर्ण भूमिका और स्थान रोजगार सृजन, निर्यात और भारतीय अर्थव्यवस्था में आबादी के विशाल वर्ग का आर्थिक सशक्तीकरण करने में है, उस

[3] भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 27 अगस्त 2013 को जारी किया गया 'भारत में बैंकिंग संरचना- भावी पथ' विषय पर चर्चा-पत्र, जिसे http://rbi.org.in/Scripts/PublicationReportDetails.aspx?ID=713 से लिया गया

[4] 4 सितंबर 2013 को पदभार ग्रहण करने पर डॉ.रघुराम राजन, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक का वक्तव्य, जिसे http://rbi.org.in/scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=29479 से लिया गया

पर अधिक जोर दिये जाने की जरूरत नहीं है। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा जारी किये गये अनुमानों के अनसार इस क्षेत्र में लगभग 36.1 मिलियन उद्यम हैं, जो लगभग 80.52 मिलियन लोगों[5] को रोजगार मुहैया कराते हैं। यह क्षेत्र विनिर्मित उत्पाद के 45 प्रतिशत के लिए और जीडीपी के 8 प्रतिशत के लिए जिम्मेवार है। एमएसएमई क्षेत्र ने देश से किये गये सभी निर्यातों में लगभग 40 प्रतिशत का योगदान किया।

18. चूँकि समय पर और पर्याप्त बैंक ऋण किसी संपार्श्विक और अन्य पक्ष गारंटी-जन्य असुविधा के बिना उपलब्ध होना पहली पीढ़ी के छोटे उद्यमियों के लिए सार-तत्व होता है, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को यह आदेश दिया है कि वे उन सूक्ष्म और लघु उद्यमों को संपार्श्विक रहित ऋण प्रदान करें, जिनकी ऋण सीमा 1 मिलियन रुपये तक है। भारत सरकार द्वारा गठित सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि (सीजीटीएमएसई) ''ऋण गारंटी योजना'' (सीजीएस) का परिचालन करती है, जो बैंकों द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को दी गयी संपार्श्विक रहित और/या अन्य पक्ष गारंटी रहित ऋण सुविधाओं को गारंटी प्रदान करती है।

19. एमएसएमई मुख्य रूप से अपने परिचालनों के लिए बैंक वित्त पर भरोसा करते हैं और इसलिए इस क्षेत्र को समय पर और पर्याप्त ऋण-प्रवाह सुनिश्चित करना एक अभिभावी सार्वजनिक नीतिगत उद्देश्य रहा है। वर्षों से बैंकों द्वारा इस क्षेत्र को दिये गये ऋण में महत्वपूर्ण रूप से बढ़ोतरी होती रही है। मार्च 2013 के अंत में सभी वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को दिये गये ऋण की कुल बकाया राशि 6,847.96 बिलियन रुपये थी, जबकि मार्च 2012 में 5,276.84 बिलियन रुपये, मार्च 2011 में 4,785,27 बिलियन रुपये और मार्च 2010 में 3,622.91 बिलियन रुपये थी। इस क्षेत्र को ऋण बकाया राशि में बढ़ोतरी होने के बावजूद, समय पर और यथेष्ट ऋण की उपलब्धता एमएसएमई क्षेत्र के लिए अभी भी एक मुद्दा है। आर्थिक विकास में एमएसएमई द्वारा निभायी गयी भूमिका और रोजगार एवं जीडीपी में इसके काफी योगदान को देखते हुए और यह महसूस करते हुए कि एमएसएमई की वृद्धि के लिए वित्त तक पहुँच होना महत्वपूर्ण है, सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक उन उपक्रमणों का समर्थन करने की अगुआई कर रहे हैं, जो वित्त तक पहुँच को सुधार सकें।

20. इस क्षेत्र को ऋण-वृद्धि सुविधाजनक बनाने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा अनेक उपाय किये गये हैं। चूँकि सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के क्षेत्र में वित्तीय वंचन का स्तर ऊँचा है (लघु उद्योगों की चतुर्थ गणना के अनुसार 93 प्रतिशत), अतः सर्वव्यापी वित्तीय पहुँच अभियान, जिसमें एमएसएमई वित्त शामिल है, अब नीतिगत विकल्प नहीं रह कर एक मजबूरी बन गया है। देश के सभी हिस्सों में बैंकिंग सेवाओं की व्यवस्था में एकसमान प्रगति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बैंकों को सूचित किया गया कि वे 2000 की आबादी वाले बैंक रहित प्रत्येक गाँव में एक बैंकिंग आउटलेट के माध्यम से मार्च 2012 तक बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने के लिए रूपरेखा तैयार करें। बैंकों ने यह लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है और उन्होंने इसमें बैंक रहित 74,398 गाँवों को शामिल किया है। दूसरे चरण में शेष बचे बैंक रहित गाँवों को समयबद्ध ढंग से शामिल करने के लिए, अर्थात्, जिनकी आबादी 2000 से कम है, रूपरेखा तैयार कर ली गयी है। देश भर में लगभग 4,90,000 बैंक रहित गाँवों की, जिनकी आबादी 2000 से कम है, पहचान की गयी है और उन्हें विभिन्न बैंकों को आबंटित किया गया है। बैंकों को गाँवों का आबंटन किये जाने के पीछे यह विचार था कि प्रत्येक गाँव में कम से कम एक बैंकिंग आउटलेट की उपलब्धता सुनिश्चित हो। रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया कि इस प्रकार की बैंकिंग सेवा किसी परंपरागत बैंक के माध्यम से दी जाये, यह आवश्यक नहीं है, लेकिन इसे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आइसीटी)- आधारित मॉडलों, जिनमें बिजनेस करेसपौंडेंट (बीसी) शामिल हैं, के किसी प्ररूप के माध्यम से प्रदान किया जा सकता है।

21. भारत सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र[6] से निर्यात किये जाने को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर-मंत्रालय समिति का भी गठन किया (अध्यक्ष : श्री आर.एस.गुजराल, वित्त सचिव)। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसकी जाँच सरकार द्वारा की जा रही है।

22. चूँकि इस क्षेत्र में रुग्णता अधिक है, अतः रुग्ण सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की पहचान और उनका पुनर्वास महत्वपूर्ण होता

[5] सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्योग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2012-13, जिसे http://msme.gov.in/ANNUALREPORT।MSME। 2012-13P.pdf से लिया गया

[6] एमएसएमई क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अंतर।मंत्रालय समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, जिसे http://dgit.gov.in/exim/2000/imc-EXPORT-sme.pdf से लिया गया

है। कोई इकाई रुग्ण है या नहीं, इसकी पहचान करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, आरंभिक रुग्णता की शीघ्र पहचान करने और किसी इकाई को अव्यवहार्य घोषित करने के पूर्व अपनायी जाने वाली क्रियाविधि अधिकथित करने के लिए, एमएसएमई क्षेत्र में रुग्ण इकाइयों के पुनर्वास के वास्ते संशोधित दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

23. रिज़र्व बैंक द्वारा एक सुनियोजित संस्थागत तंत्र केंद्रीय कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर स्थापित किया गया है, जो इस क्षेत्र से संबंधित मुद्दों का अनुश्रवण करेगा। एक स्थायी सलाहकार समिति का गठन केंद्रीय कार्यालय स्तर पर किया गया है और एक अधिकारप्राप्त समिति बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर कार्यरत है, जिसमें सभी पणधारी सदस्य के रूप में होते हैं। ये समितियाँ एमएसएमई क्षेत्रों को ऋण में सुधार से संबंधित मुद्दों, अनुभव की गयी कठिनाइयों/बाधाओं और उन्हें दूर करने के लिए किये गये उपायों, आदि से संबंधित मुद्दों की जाँच करती है।

24. पुनः, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के एक बड़े खंड को सहारे की आवश्यकता होती है। वित्तीय साक्षरता का अभाव एमएसई उधारकर्ताओं के लिए कठिन चुनौती प्रस्तुत करता है, जिससे इस महत्वपूर्ण वित्तीय क्षेत्र में बैंकों द्वारा सुविधा दिये जाने की आवश्यकता रेखांकित होती है। इन बाधाओं पर कारगर और निश्चयात्मक ढंग से ध्यान देने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सूचित किया गया है कि वे अपने तुलनात्मक फायदे के अनुसार या तो अपनी शाखाओं में अलग से विशेष कक्ष स्थापित करें या अपने द्वारा स्थापित वित्तीय साक्षरता केंद्रों में इस कार्य को सीधे एकीकृत कर दें। एमएसई क्षेत्र में वित्तीय साक्षरता का प्रसार करने की दृष्टि से और इससे भी अधिक इस क्षेत्र में नये उद्यमियों को वित्तीय रूप से साक्षर बनाये जाने की दृष्टि से हमने एक गाइड बुक तैयार करने का प्रयास किया है, जो किसी उदीयमान उद्यमी के बुनियादी सवालों के उत्तर देगा और वे फायदे बतायेगा, जो उसे औपचारिक बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ने पर मिलने वाला है। हमें आशा है कि इसका उपयोग बैंकों द्वारा अपने एमएसएमई शिविरों में और उद्योग संघों द्वारा नये उद्यमियों के बीच परिचालन के लिए किया जायेगा।

25. जबकि अनेक उपक्रमण इस दिशा में किये गये हैं, विशेष रूप से इक्विटी वित्त तक पहुँच प्राप्त करने, विलंबित भुगतान, प्रौद्योगिकी का कोटि उन्नयन, कौशल निर्माण, आदि के क्षेत्रों में बहुत कुछ किये जाने की आवश्यकता है।

26. इक्विटी पूँजी तक पहुँच प्राप्त करना एक यथार्थ समस्या है। इस समय इस क्षेत्र में पूँजी-प्रवाह लगभग नगण्य है। इक्विटी पूँजी का अभाव ज्ञान आधारित उद्योगों के विकास के लिए, विशेष रूप से उन उद्योगों के लिए, जिनका संवर्धन पहली पीढ़ी के उद्यमियों द्वारा अपेक्षित विशेषज्ञता और ज्ञान द्वारा किया जा सकता है, गंभीर चुनौती प्रस्तुत करता है। ऐसी फर्में विशिष्ट रूप से उद्यम पूँजी की तलाश में रहती हैं, जो उनके लिए आवश्यक वित्तपोषण करे, जिससे उन्हें अपना विस्तार करने, नये बाजारों में पहुँचने और तेजी से पनपने का अवसर मिले। इस प्रकार एमएसएमई (विशेष रूप से वे, जो नवोन्मेषों और नयी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हैं) को एंजेल फंड/जोखिम पूँजी जैसी पूँजी के वैकल्पिक स्रोतों तक पहुँच को काफी आगे बढ़ाना आवश्यक है, ताकि उद्यमवृत्ति को प्रोत्साहित किया जा सके और उसका विकास हो। केंद्रीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2012-13 के बजट में सिडबी में 50 बिलियन रुपये राशि की एक इंडिया ऑपर्चुनिटीज वेंचर फंड स्थापित किये जाने की घोषणा की थी, ताकि एमएसएमई क्षेत्र को इक्विटी की उपलब्धता बढ़ायी जाये। एमएसएमई के संबंध में प्रधानमंत्री के कार्यबल की सिफारिशों के आधार पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ने भी एसएमई के शेयरों को सूचीबद्ध करने और लेन देन करने के लिए अलग से एक समर्पित एक्सचेंज/प्लैटफार्म स्थापित किये हैं, जिससे एसएमई के लिए इक्विटी पूँजी जुटाने का काम आसान हो गया है।

27. ग्राहको से समय पर भुगतान प्राप्त होने से एसएमई को अपनी कार्यशील पूँजी आवश्यकताओं को कम करने में मदद मिलेगी, जिससे न्यून ब्याज लागत, सुधरी हुई लाभप्रदता और भारत के एसएमई क्षेत्र की दीर्घावधि स्थिति और धारणीयता पर सकारात्मक प्रभाव होगा। बकायों के निपटान में विलंब होने से एसएमई इकाइयों के लिए निधियों के पुनर्निवेश और व्यवसाय परिचालनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि छोटे-छोटे प्रतिष्ठान अपनी प्राप्य राशियों पर चलनिधि जुटाने में समर्थ हों। इस समस्या का संस्थागत रूप से समाधान फैक्टरिंग द्वारा किया जा सकता है, जो एसएमई को उनकी प्राप्य राशियों पर चलनिधि प्रदान करता है और कार्यशील पूँजी के लिए वैकल्पिक स्रोत हो सकता है। दुनिया भर में एसएमई के लिए और बड़े संगठनों के लिए भी कार्यशील पूँजी तक पहुँच प्राप्त करने के लिए फैक्टरिंग एक पसंदीदा मार्ग होता है। भारत में कुछ बैंकों और

वित्तीय संस्थाओं ने फैक्टरिंग सेवाएँ आरंभ कर दी हैं और मैं अधिकाधिक बैंकों से अनुरोध करूँगा कि वे विशेष रूप से एमएसएमई के लिए ऐसी सेवाएँ प्रदान करें। फैक्टरिंग सेवाओं के लिए एक विधायी ढाँचा देने के उद्देश्य से संसद ने हाल ही में फैक्टरिंग रेगुलेशन बिल पास किया है, जो सूक्ष्म और लघु उद्यमों को भुगतान में विलंब किये जाने और चलनिधि की समस्या पर ध्यान देगा।

28. बढ़ती प्रतिस्पर्धा, वैश्वीकरण और वैश्विक गिरावट के कारण अनिश्चितता होने से एसएमई को अपनी उत्पादन प्रक्रियाओं में और अपने विपणन एवं प्रबंधन कार्य में निरंतर नवीन प्रौद्योगिकी को शामिल करना होगा, ताकि लागत में कटौती हो, दक्षता और सुसंगति बढ़े। एमएसएमई के संबंध में गठित प्रधानमंत्री के कार्यबल ने अनेक ऐसे उपायों की सिफारिश की है, जिनका संबंध एमएसएमई की कार्यपद्धति, यथा, ऋण, विपणन, श्रमिक, निकास नीति, आधारभूत संरचना/प्रौद्योगिकी /कौशल विकास और कराधान से है।

29. उन प्रतिस्पर्धात्मक दबावों को, जो व्यापार उदारीकरण और वैश्वीकरण के चलते बनते हैं, समायोजित कर पाने की एसएमई की सामर्थ्य घरेलू तौर पर उपलब्ध कौशल।स्तर पर निर्भर करेगी। एमएसएमई क्षेत्र की बढ़ती जरूरतों और विशाल 'जनांकिकी पूँजी', जिसका संसाधन हम करते हैं, को देखते हुए अभी भी कौशल वृद्धि और उद्यमवृत्ति विकास के लिए काफी प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। कौशल और उद्यम-वृत्ति के लिए भारी निवेश किये जाने की आवश्यकता है।

डी. भारत में फैक्टरिंग और रिज़र्व बैंक की भूमिका

30. फैक्टरिंग सेवा, जिसे बैंक वित्त के पूरक के रूप में देखा जाता है, लघु एवं मझौले उद्योगों के लिए बहुत आवश्यक पूँजी वित्त की उपलब्धता सुनिश्चित करती है, विशेष रूप से उन उद्योगों के लिए, जिनके पास अच्छी प्राप्य राशियाँ तो होती हैं, लेकिन वे संपार्श्विक या क्रेडिट प्रोफाइल के अभाव के चलते काफी बैंक वित्त प्राप्त करने की स्थिति में नहीं होते। फैक्टरिंग कंपनियों के साथ निरंतर व्यवसाय संबंध बना कर छोटे व्यापारी, उद्योग और निर्यातकर्ता अपने व्यवसाय में नकदी प्रवाह और चलनिधि में सुधार करने और अनुषंगी सेवाएँ, यथा, लेजर एकाउंटिंग, प्राप्य राशियों की वसूली, ऋण-रक्षा, आदि उपलब्ध होने का लाभ उठा सकते हैं। फैक्टरिंग उनको अपने संसाधनों को मुक्त करने और उनके व्यवसाय के सहज संचालन के लिए विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक आवश्यकताओं के वास्ते सर्व सेवा व्यवस्था रखने में मदद करता है।

31. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा देश में फैक्टरिंग संगठनों के आरंभ करने की संभावना और क्रियाविधि की जाँच करने के लिए जनवरी 1988 में गठित कल्याणसुंदरम अध्ययन दल ने भारत में घरेलू फैक्टरिंग सेवाएँ प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त किया। फैक्टरिंग को एक व्यवसाय के रूप में शामिल करने के लिए, जिसे बैंकों द्वारा किया जा सकता है, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 में संशोधन किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों के लिए दिशा-निर्देश जारी किये, जिनमें बैंकों को अलग सहायक संस्थाएँ स्थापित करने या अन्य बैंकों के साथ संयुक्त रूप से पैक्टरिंग कंपनियों में निवेश करने की अनुमति दी गयी। तथापि, सामान्यतः यह महसूस किया गया कि फैक्टरिंग कानून का अभाव देश के फैक्टरिंग व्यवसाय की वृद्धि में एक बड़ी अड़चन है, जिसमें शामिल हैं, समनुदेशन विलेख पर भारी स्टाम्प शुल्क, प्राप्य राशियों के संबंध में फैक्टरों के कानूनी अधिकारों में अस्पष्टता, आदि।

32. भारत सरकार ने देश में फैक्टरिंग व्यवसाय के लिए बहु-प्रतीक्षित विधिक ढाँचा तैयार किये जाने के लिए फैक्टरिंग अधिनियम बनाया। इसमें फैक्टरिंग, फैक्टर, प्राप्य राशियों और समनुदेशन शब्दों की परिभाषा दी गयी है। अधिनियम में यह भी विनिर्दिष्ट किया गया है कि फैक्टरिंग व्यवसाय करने वाली किसी संस्था को एनबीएफसी के रूप में आरबीआई में पंजीकरण कराना होगा; जबकि बैंकों, सरकारी कंपनियों और निगमों को, जिनकी स्थापना संसद के किसी अधिनियम के अंतर्गत की गयी हो, फैक्टरिंग व्यवसाय करने के लिए आरबीआई में पंजीकरण कराने की अपेक्षा से छूट प्रदान की गयी है। इस प्रकार, इस अधिनियम ने प्राप्य राशियों के समनुदेशन-कार्यकलाप को स्पष्टता प्रदान की और फैक्टरों के पक्ष में प्राप्य राशियों के समनुदेशन के प्रयोजनार्थ निष्पादित दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क लगाये जाने से भी छूट स्वीकृत की, जिसके चलते यह व्यवसाय अधिक व्यवहार्य बन गया। इस अधिनियम में यह भी परिकल्पित है कि प्राप्य राशियों के समनुदेशन के सभी लेन देन एसएआरएफएइएसआइ अधिनियम, 2002 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय रजिस्ट्री में पंजीकृत होंगे, ताकि धोखाधड़ियों की संभावना कम हो और ग्राहकों के लिए सम्यक सतर्कता प्रक्रिया सुदृढ़ बने।

33. इस अधिनियम में रिज़र्व बैंक को शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं कि वह किसी फैक्टर के 'प्रधान व्यवसाय' के लिए शर्तें निर्धारित कर सकता है और फैक्टरों को निर्देश दे सकता है तथा उनसे सूचनाएँ एकत्र कर सकता है। अधिनियम के पास होने के बाद रिज़र्व बैंक ने एनबीएफसी की एक अलग श्रेणी बनायी है, यथा, एनबीएफसी-फैक्टर्स, और उनके विनियमन के लिए निदेश जारी किये हैं। उधार के व्यवसाय में लगी एनबीएफसी के लिए विवेकपूर्ण मानदंड एनबीएफसी-फैक्टर्स पर भी लागू किये गये हैं। पुनः, फैक्टरिंग कंपनियों को बैंक वित्त और बैंकों द्वारा किये गये फैक्टरिंग व्यवसाय को भी आरबीआई द्वारा विनियमित किया जाता है।

फैक्टरिंग क्षेत्र द्वारा सामना की गयी चुनौतियाँ

34. यद्यपि फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम बनाये जाने से वे सभी प्रमुख अड़चनें दूर हो गयी हैं, जिनका सामना फैक्टरिंग क्षेत्र देश में करता था, फिर भी इसकी इच्छित सूची में कुछ अन्य मदें हैं, जिनमें से मुख्य है फैक्टरिंग व्यवसाय में ऋण बीमा और प्रतिभूति हित[7] के द्रुत प्रवर्तन के लिए एनबीएफसी को शामिल किये जाने के वास्ते एसएआरएफएइएसआइ अधिनियम को विस्तारित किया जाना। जहाँ तक ऋण बीमा का संबंध है, वित्त मंत्री ने वर्ष 2013-14 के केंद्रीय बजट में घोषणा की कि फैक्टरिंग के लिए सिडबी में एक ऋण गारंटी निधि का गठन किया जायेगा, जिसकी आधारभूत निधि 5 बिलियन रुपये की होगी। जहाँ तक एसएआरएफएइएसआइ अधिनियम को एनबीएफसी तक विस्तारित किये जाने का संबंध है, अंतिम निर्णय भारत सरकार द्वारा किया जाना है।

35. देश में फैक्टरिंग व्यवसाय का न्यून व्यापन अभी भी एक चुनौती बना हुआ है, जो उपयोगकर्ताओं के बीच जागरूकता के अभाव के चलते हो सकता है। अब जबकि आवश्यक कानून बनाया जा चुका है, उद्योग द्वारा अपने संघों और अन्य मंचों से यह स्पष्ट करने का निष्कपट प्रयास किया जाना जरूरी है कि फैक्टरिंग के लाभ न केवल वित्त के वैकल्पिक स्रोत के रूप में मिलेंगे, बल्कि इससे परंपरागत वित्त की तुलना में अनेक वित्तीय सेवाएँ भी लघु उद्योगों को प्राप्त होंगी। उन्हें ग्राहकवर्ग की अप्रयुक्त क्षमता की पहचान करने में समर्थ होना चाहिए, विशेष रूप से विभिन्न एसएमई उद्योग क्षेत्रों में, और यह जागरूकता फैलायी जानी चाहिए कि किस प्रकार परंपरागत वित्त की तुलना में फैक्टरिंग की उच्च लागत दीर्घावधि में व्यवसाय के लिए उचित और किफायती सिद्ध होगी। फैक्टरिंग कंपनियों को भी निरंतर यह प्रयास करना होगा कि वे प्रौद्योगिकी के मोर्चे पर और परिचालन स्तर, दोनों पर, अपने ग्राहकवर्ग को किफायती सेवाएँ देने के लिए अपनी विशेषज्ञता का कोटि उन्नयन करें।

36. मैं आइएफजी को अपना वार्षिक सम्मेलन भारत में आयोजित करने के लिए धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैं वस्तुतः यह मानता हूँ कि इस प्रकार के और अधिक सम्मेलनों का आयोजन करने का द्वि-आयामी लाभ होगा, जो उस संभाव्य लाभ के बारे में सामान्य जागरूकता लाने का काम करेगा, जो फैक्टरिंग सेवाएँ सामान्यतः व्यवसायों को प्रदान करेंगी और इससे भी अधिक लाभ एसएमई खंड को होगा और अधिक महत्वपूर्ण रूप से भारतीय कंपनियाँ इससे विकसित अर्थव्यवस्थाओं के अपने काउंटरपार्टों के अनुभव से सीखेंगी, जहाँ फैक्टरिंग व्यवसाय भलीभाँति संस्थापित है। मुझे आशा है कि दो-दिवसीय सम्मेलन में किये गये विचार-विमर्श देश में फैक्टरिंग सेवाओं के व्यापन के बारे में कुछ व्यावहारिक विचारों को सामने लायेंगे। मुझे निश्चय है कि लब्धप्रतिष्ठ वक्ताओं द्वारा मूल्यवान निविष्टियाँ पटल पर लायी जायेंगी, जिससे पता चलेगा कि भारत में फैक्टरिंग सेवाएँ अपने उदीयमान प्रक्रम पर किस प्रकार की सर्वाधिक युक्तियुक्त और किफायती सुपुर्दगी मॉडल दे सकेंगी। तथापि, यह अनिवार्य होगा कि घरेलू फैक्टरिंग उद्योग कठिन परिश्रम करते हुए इस सम्मेलन द्वारा सृजित संवेग को आगे सही अर्थ में कार्यान्वित करे। तभी इस सम्मेलन से हुए लाभ को वास्तविक रूप में महसूस किया जा सकेगा।

मैं एक बार पुनः आयोजकों को मुझे आमंत्रित करने और इस विषय पर अपने विचार को साझा करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद !

[7] फैक्टरिंग में अड़चन डालने वाले कारक- नया अधिनियम बनाये जाने के बाद भारत में फैक्टरिंग की गति तेज क्यों नहीं हो रही है ?- लेखक निधि बोथरा और शंपिता दास, विनोद कोठारी एंड कंपनी, जिसे http://india—financing.com/Factors_impending_factoring_why_is_factoring_not_picking_up_in_India_post_enactment_of_the_new_act.pdf से लिया गया